

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ १() 2018-19/ऑडिट समिति/प्रमुवसं/

दिनांक : 09.2020

निमित

1. प्रधान महालेखाकार,
महालेखाकार कार्यालय
राजस्थान, जयपुर।

2. निदेशक,
निरीक्षण विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-पैरा निस्तारण हेतु जयपुर संभाग में स्थित कार्यालयों के लिए कैम्प स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्रांक क्रमांक एफ १() 2018-19/ऑडिट समिति/प्रमुवसं/ 4094-120 दिनांक

11.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वन विभाग महालेखाकार/निरीक्षण विभाग के बकाया प्रतिवेदनों के आक्षेप निस्तारण हेतु दिनांक 22.09.2020 से 25.09.2020 तक जयपुर समस्त कार्यालयों एवं दौसा व सीकर, कार्यालय का अरण्य भवन में अनुच्छेद निस्तारण हेतु कैम्प का आयोजन रखा गया था। कोविड-19 से कुछ कार्मिकों के ग्रसित होने एवं पंचायत चुनाव में कई कार्मिकों की ड्यूटी लगने के कारण स्थगित किया जाता है। आगामी कैम्प की सूचना पृथक से जारी की जायेगी।

भवदीय



(संजय सोलंकी)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ १() 2018-19/ऑडिट समिति/प्रमुवसं/ ५६/६-६४, दिनांक : २१. 09.2020

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक निदेशक राज वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान (एफ.टी.आई.) जयपुर/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ट्री) राजस्थान, जयपुर
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एन.टी.एफ.पी.) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (सिल्वा) ग्रास फार्म नरसरी जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आर.एफ.बी.पी.) राजस्थान, जयपुर
3. अध्यक्ष, जैव विविधता बायोडायरिस्टी बोर्ड, राजस्थान जयपुर/मुख्य वन संरक्षक (एफ.पी.आर.पी.) बनास, राजस्थान, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
4. वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, कार्यालय प्रमुवसं. (हाँ) राजस्थान, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, जयपुर/उप वन संरक्षक, जयपुर/उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)/उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) जयपुर/उप वन संरक्षक, (चिड़ियाघर) जयपुर/उप वन संरक्षक, (अनुसंधान) ग्रास फार्म नरसरी जयपुर/उप वन संरक्षक, दौसा/उप वन संरक्षक, सीकर/उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर/वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर
6. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. सम्पदा अधिकारी, अरण्य भवन, जयपुर प्रेषित है।

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर